

न्यायालय : सब जज प्रथम, मधुबनी

Partition Execution 04/1997

19.12.2023वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद को माननीय उच्च न्यायालय के आदे ानुसार निष्पादन हेतु प्राथमिक बेसिस पर रखा गया है परंतु दिनांक 11.04.2022 से कोई पक्षकार स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट हो रहा है कि डिक्रीदार को अपने डिक्री के निस्तारण से डिक्री में वर्णित फलाफल को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है एवं डिक्री के फलाफल से डिक्रीदार संतुष्ट हैं तथा न्यायालय से क्रियान्वयन नहीं कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह वाद खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सब जज प्रथम, मधुबनी।